



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक 1190/
सेवा में,

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tel: 01383-2224570
Fax: 01383-222457
E-mail: eeprmsykhottwar@gmail.com

दि० 16/01/2020

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल में मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (5.450 कि०मी०) हेतु 2.275 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/०६/१५/२०१९/एफ०सी०/१५१७ दिनांक ०९.१०.२०१९

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.275 है० सिविल वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 4.550 है० ग्राम - सीलाडांडा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत प्रदान की जायेगी।	दिनांक 10.12.2019 को जमा करवा दी गयी है। तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जा चुका है। (प्रति संलग्न)
2	Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित उच्च स्तर से किया जाना है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	दिनांक 10.12.2019 को जमा करवा दी गयी है। (प्रति संलग्न)
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	मान्य है। प्रपत्र संलग्न
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को बैंब पोर्टल पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	ऑन लाईन चालान जनरेट कर खाते में जमा करवा दिया गया है। परिवेश बेबसाईट से प्राप्त भुगतान विवरण की प्रति संलग्न।
6	सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	मान्य है। अनुपालन किया जायेगा।
7	राज्य सरकार Geologist report एवं डी०एफ०ओ० द्वारा प्रमाणित संयुक्त निरीक्षण की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे।	मान्य है।
विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तों का अनुपालन		
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	एन०पी०वी० की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन०पी०वी० देने के लिए बाध्य होगा।	मान्य है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु चयनित 4.550 है० ग्राम- सीलाडांडा सिविल एवं सोयम	मान्य है।

	भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	मान्य है।
7	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव - जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	मान्य है।
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
9	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 पेड़ों से अधिक न हो।	मान्य है।
10	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी।	मान्य है।
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	मान्य है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमित लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	मान्य है।

अतः आपके संज्ञान में लाना है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक सैदान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग द्वारा किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करे एवं मोटर मार्ग पर स्थित पेड़ों के छपान एवं कटान की कार्यवाही अपने स्तर से करवाने का कष्ट करे। जिससे मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्न:- 1. भुगतान की प्रति
2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

(राजेश कुमार)
अधिश्रासी अभियन्ता
दि०.....

पत्रांक 1190/ वनभूमि
निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 1.- अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
4. सहायक अभियन्ता - षष्ठम सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार)
अधिश्रासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

154/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018, दिनांक पौडी 2, 2018
"आदेश"

तहसीलदार लैन्सडौन ने अपने पत्र संख्या: 242/र0का0-2018 दिनांक 05.05.2018 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित मोटर मार्ग मस्टखाल से सीलाडांडा के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सीला डांडा पट्टी लंगूरवल्ला के नॉन जेड0ए0 खतीनी के वर्तमान खतीनी खाता सं0 7 के खसरा नं0 934 रकबा 8.043 है0 मध्ये 4.550 है0 श्रेणी 9(3)ख झाड़ी दर्ज अभिलेख भूमि चयनित कर प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि में कोई घासगाह, पनघट, मन्दिर, मस्जिद, कब्रस्तान, शमशानघाट आदि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

2. शासनादेश संख्या: 2173/XVII (2)/2012-18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल से सीलाडांडा के नव निर्माण के लिए तहसीलदार लैन्सडौन की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम सीला डांडा पट्टी लंगूरवल्ला के नॉन जेड0ए0 खतीनी के वर्तमान खतीनी खाता सं0 7 के खसरा नं0 934 रकबा 8.043 है0 मध्ये 4.550 है0 श्रेणी 9(3)ख झाड़ी दर्ज अभिलेख भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार लैन्सडौन तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

- प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- सचिव, राजस्व अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 - 3- नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
 - 4- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, कोटद्वार।
 - 5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, लैन्सडौन।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

उद्वरण खसरा

ग्राम सीता झाड़ा पट्टी बोहरा तहसील लैन्सडाउन, परगना डाँडा जिला पौड़ी गढ़वाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
934	8.034 अ. 1	7	अ. 2 खसरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अ. 3 8.034	अ. 4 अ. 5		
	4.550																	4.550		

प्रति दोन महीने

सैदाफा

अ. 1
अ. 2

अ. 3
अ. 4
अ. 5
अ. 6
अ. 7
अ. 8
अ. 9
अ. 10
अ. 11
अ. 12
अ. 13
अ. 14
अ. 15
अ. 16
अ. 17
अ. 18
अ. 19
अ. 20
अ. 21

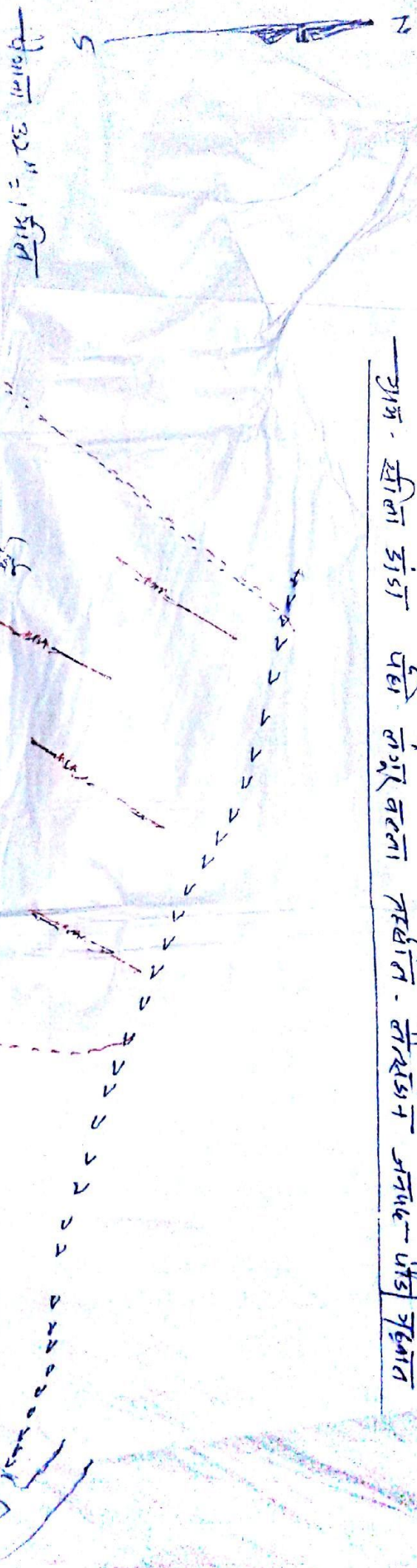
(एन.एस. रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी: बोहरा तहसील: लैन्सडाउन
जिला: पौड़ी गढ़वाल

नग्न रेखा

विषय - परस्पराल से सीला डांश और आर्क के सब निर्भर स्थिति के द्वारा दीया है

— वायुमिति स्थल के सम्बन्ध में ।

— ग्राम - सीला डांश परी लंगूर चलता गमकित - लंगूर उभान अनपद पीडि गहवान



संकेत चिह्न -

— वृष्टि - वृष्टि के चयनित स्थल को लाल चोखाना से दिखाया गया है ।

— चयनित स्थिति - चयनित स्थिति को लाल चोखाना से दिखाया गया है ।

1. परस्पराल से निर्भर स्थिति
2. लंगूर उभान
3. अनपद पीडि गहवान

ग्राम-सीलाडांडा पट्टी-लंगूर बल्ला-I शॉनिंदो-सिलोनी तह-लैसडीन गढवाल

1	2	3	4	5	6	7	21 तक
	07	झाडी		934	8921113 8.043	खेतापूठ	तहसीलदार लै-खेतीनी के आवेदना दि० 05.05.2018 खेती व्यापारिक जिलाधिकारी गढवाल आवेदना सं०- 1814/26-प्रशांत डाँधो (सा० प्रशांत)/2018, दि० पौडी जून 2, 2018 आवेदना-लेनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वयं चोखना के तहत गल प्रस्तावित मीटर जाग मस्टखाल के सीलाडांडा के नव निभणि है उपजिलाधिकारी लै-सडीन की जाहिया खेती स्वास्तिनादेश से दिये गये निवेदनानुसार ग्राम-सीलाडांडा पट्टी-लंगूर बल्ला-I तह लै-सडीन की नोन खेतीने खेतीनी खाला सं० 07 के खेतीन नम्बर 934 खेती 8.043 है मध्य 4.550 है कुल खेती 4.550 है ग्राम मोनी 9(3) खेती में उत्पन्नखेती खेतीन के नाम खाडी दर्ज है। ग्राम की कतिपय वृक्षापण है वन विभाग के नाम हस्तांतरण खेती नामान्तरण दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है हस्ताक्षर सुशील कुमार जिला उपाधिकारी गढवाल
					8921113		

नवल खेतीनी लै गयी है


नरेन्द्र सिंह
राजस्व उप निरीक्षक I/C
पट्टी...
तहसील...
जिला- पौडी गढवाल

परियोजना का नाम: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल शीलाडांडा मोटर मार्ग (5.450 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण मे उपयुक्त सिविल राज्य भूमि का वन विभाग को हस्तानान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल शीलाडांडा मोटर मार्ग के (5.450 कि०मी०) मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.552 हे० ग्राम शीला डांडा, पट्टी लंगूर वल्ला-1, तहसील लैन्सडौन, जिला पौड़ी गढ़वाल की राज्य सिविल भूमि को विधिवत् रुप से वन विभाग को हस्तानान्तरित किया जायेगा। यह भूमि स्थल विशिष्ट है।

राजस्व उपनिरीक्षक
लंगूर वल्ला-1
REVENUE SUB INS
PATTI L.W.L TEHSIL
GARHWAL

तहसीलदार
लैन्सडौन
तहसीलदार
लैन्सडौन

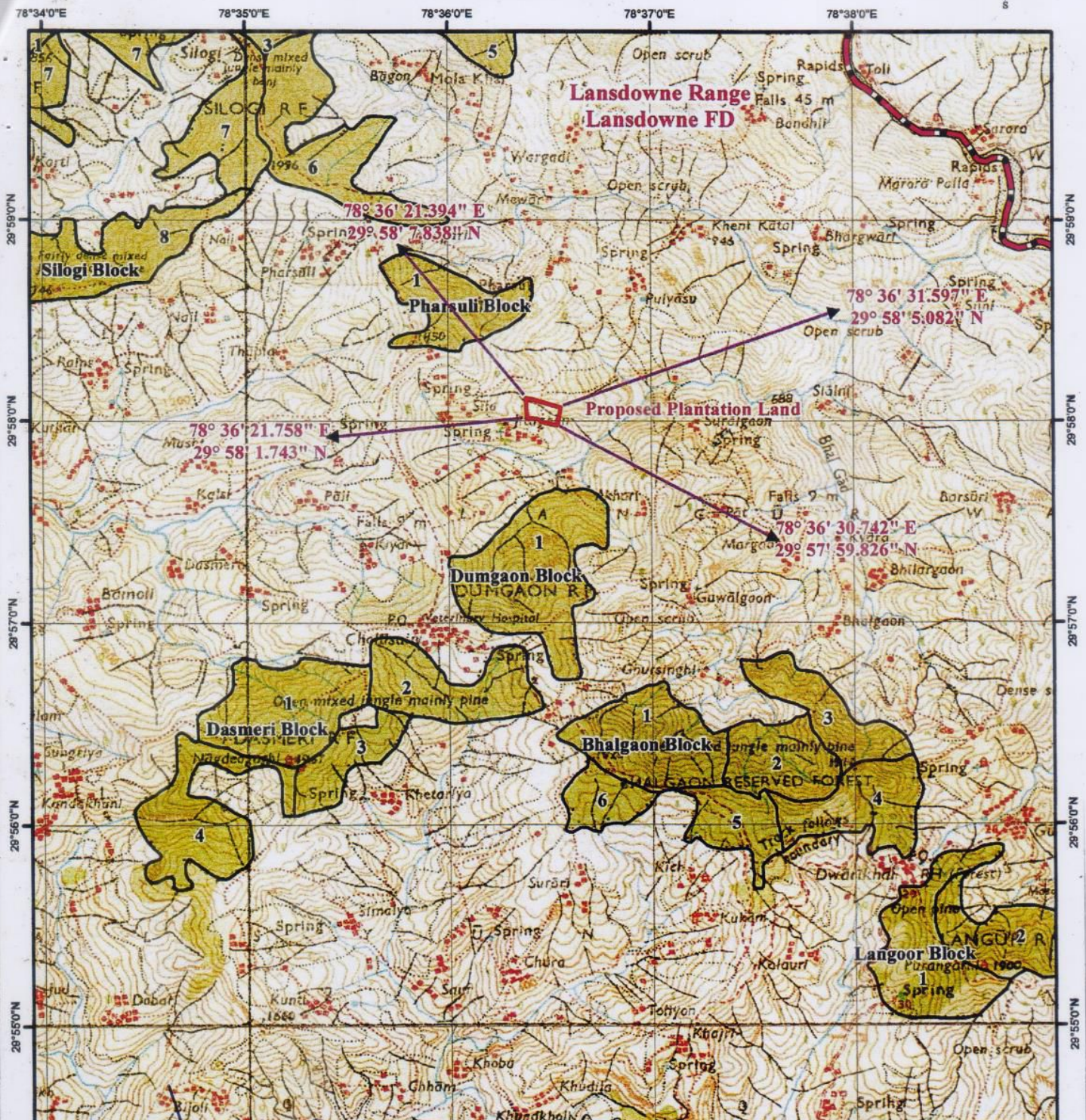
उपजिलाधिकारी
लैन्सडौन
रत. डा. 11.4.
पौड़ी गढ़वाल

जिलाधिकारी
(पौड़ी गढ़वाल)
जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

डिजिटल मानचित्र – जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
मस्टखाल से शीला डाडा मोटर मार्ग (लम्बाई 5.450 किमी०) के निर्माण हेतु प्रस्तावित
क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल शीला डाडा सिविल सोयम क्षेत्र- 4.550 है०

0 0.5 1 1.5 Km

$(2.275 \times 2) = 4.550$



Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

(पं०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी...
तहसील-लैसडौन
जिला पौड़ी गढ़वाल

उप प्रमाणीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैसडौन (गढ़वाल)

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

पौ०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

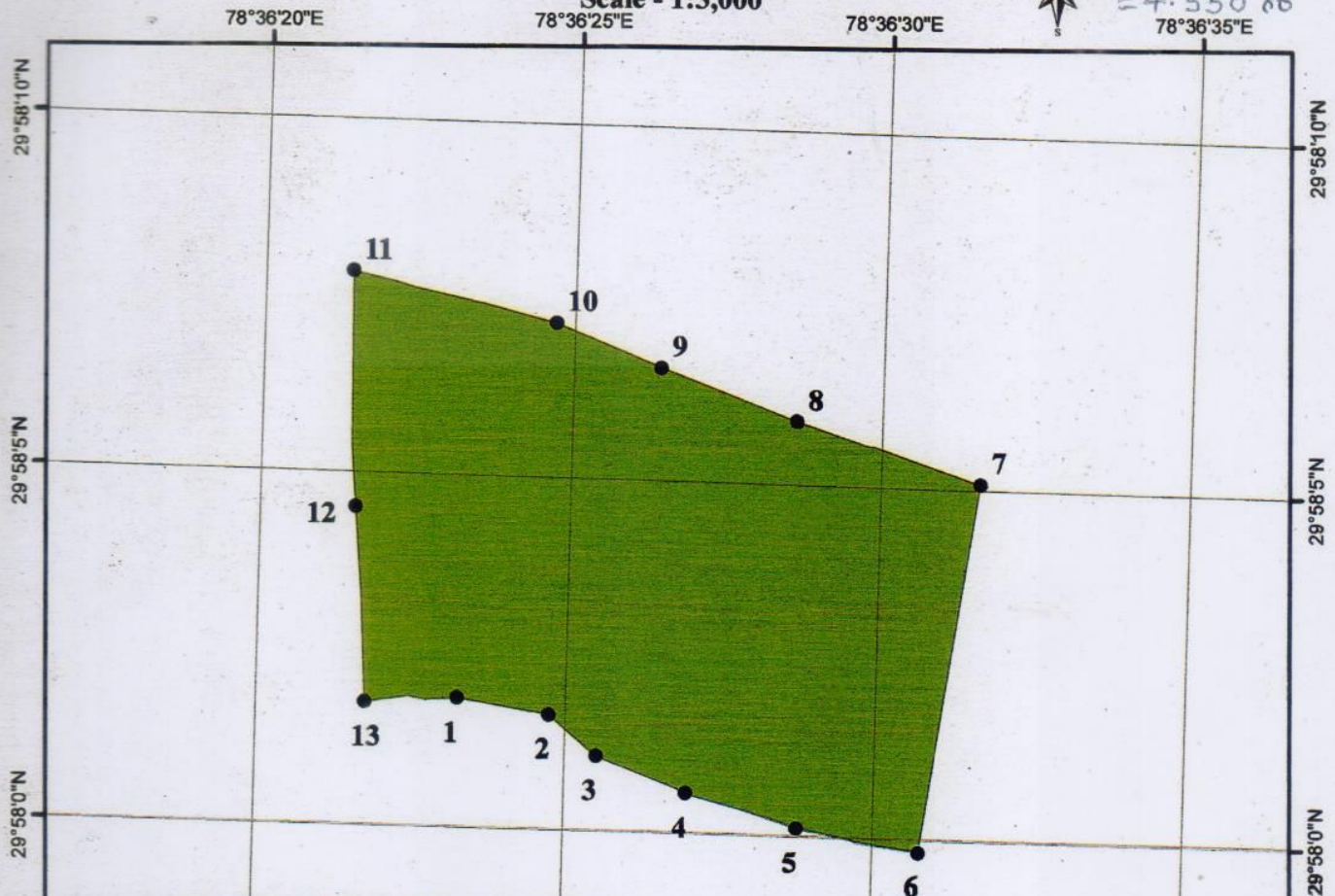
जियो रेफरेंस मैप जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मास्टखाल से शीला डाडा मोटर मार्ग के नव निर्माण (5.450 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल शीला डाडा सिविल सोयम क्षेत्र-4.550 है०

0 50 100 200 m

Scale - 1:3,000



(2.275 x 2) = 4.550



ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78° 36' 23.241" E	29° 58' 1.829" N
2	78° 36' 24.733" E	29° 58' 1.633" N
3	78° 36' 25.506" E	29° 58' 1.062" N
4	78° 36' 26.967" E	29° 58' 0.568" N
5	78° 36' 28.760" E	29° 58' 0.121" N
6	78° 36' 30.742" E	29° 57' 59.826" N
7	78° 36' 31.597" E	29° 58' 5.082" N
8	78° 36' 28.614" E	29° 58' 5.898" N
9	78° 36' 26.398" E	29° 58' 6.597" N
10	78° 36' 24.691" E	29° 58' 7.189" N
11	78° 36' 21.394" E	29° 58' 7.838" N
12	78° 36' 21.525" E	29° 58' 4.512" N
13	78° 36' 21.758" E	29° 58' 1.743" N

Legend

- GPS Coordinates
- Proposed CA Land

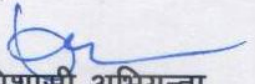
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लेन्सडौन
उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लेन्सडौन (गढ़वाल)
जिलाधिकारी
कोटद्वार (गढ़वाल)
15/3/18
(एन०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील-लेन्सडौन
जिला- पौड़ी गढ़वाल
Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
कोटद्वार-पौड़ी गढ़वाल
वन क्षेत्राधिकारी
चैलूसेन रंज
तहसीलदार
लेन्सडौन

सहायक अभियंता VI

पो०एम०जा०एस०वा०डा०स०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

बचनवद्धता प्रमाण पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.275 है० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ जहाँ सम्भव होगा के दोनो किनारो तथा Central Verge पर Strip Plantation की जायेगी।


अधिसासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०— सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में
मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (5.450 कि०मी०)
हेतु 2.275 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास
विभाग को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने/वचन बद्धता का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

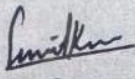


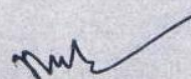
अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

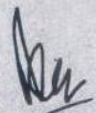
परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत टी02(ओ0डी0आर) मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग (5.450 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।


कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

(राजस्व उपनिर्देशक)

KANTA PRASAD
REVENUE SUB INS
PATTI TEHSIL
GARHWAL

(तहसीलदार)


तहसीलदार
लैन्सडौन

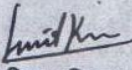

कुल. जी. एन.
सोनी (प्रमुख)


16.2.15
(जिससिधिवी)
गढ़वाल(पौड़ी)

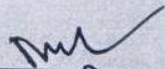
परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत टी02(ओ0डी0आर) मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग (5.450 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल



सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

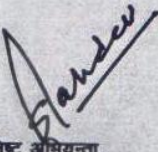


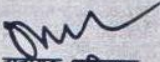
अधिसूची अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत टी02(ओ0डी0आर) मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग (5.450 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल


अधिसारी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▼ Help



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/11139/2015 Mastkhal to Sila Danda Motor Road	ROAD111392015577	6111139577	09 Oct 2019	CA: 1394716/- Addl CA 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety : Addl PA 0/- Zone: : NPV: 1922375/- Other Charges0/- : Other Charges10/- : Other Charges20/- : Other Charges30/- : Total : 3317091/-	Paid	Fund Demand Verified by : 16 Nov 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 18 Nov 2019 Transaction Date : 10 Dec 2019	Demand Letter Generated Challan

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Garhwal

No. 408/1/26-प्रशा.अधि. (सा.प्रशा.)

Dated. 18-2-2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.275** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department** (name of user agency) for **Road construction** (purpose for diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of **Seeladanda** village (s) in **Lansdowne** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.275** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 4 annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

2
16.2.15
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)
(Chandra Shakher Bhatt)
District collector Garhwal

1.6 (VII)

ANNEXURE.....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (PAURI)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006:

A meeting of the district level committee of Pauri district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Chandra Shakher Bhatt I.A.S deputy commissioner Garhwal on date 16-2-15 at time 11:30 at Pauri in which application claiming rights in civil soyam area measuring 1.890 hect. And Van panchayat land area measuring ^{0.385} 0.835 hect. for the construction of Mastkhal to Seeladanda Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Lansdwone sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Garhwal (Pauri)

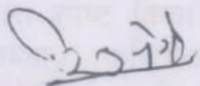
Dated: 16-2-15


16-2-15
(CHANDRA SHAKHER BHATT)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Pauri Garhwal

1.6 (IX)

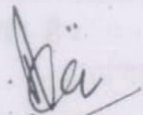
It is Further Certified that Minutes of Meeting of construction of Mastkhal to seeladanda Motor Road (5.450 KM) regarding FRA is as following :-

Ser. No.		Remark
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire 2.275 hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.


जिला पंचायत सदस्य
जिला पंचायत
पुलाकी भ्यूंस (दारीखाल)
जिला पीडी गढ़वाल


जिला पंचायत सदस्य
जिला पंचायत
पुलाकी भ्यूंस (दारीखाल)
जिला पीडी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन


अधिशाली अभियन्ता
सि०ख० पी०एम०जी०एस०वाई०
कोटद्वार


16-2-15
(वन्दरखर मट्ट)
जिलाधिकारी
पीडी गढ़वाल

FRA

1.6 (I) प्रपत्र - 30.3

~~प्रपत्र~~ 28

परियोजना का नाम:- ~~खान मंत्री~~ ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आवेदन नं. 1/2014

जो ग्राम सड़क से जोड़ा जाय और जोड़ने की दूरी 0.10 से 5.750 है
तक का निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम..... श्रीलाडाडा
तहसील..... लैलाडाडा जिला..... चौडी (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

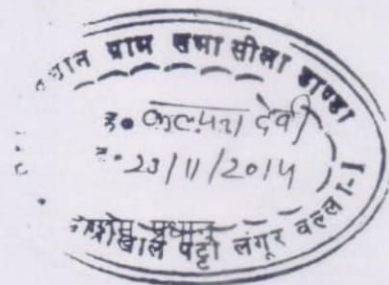
जिला चौडी (गढ़वाल) उत्तराखण्ड में ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आवेदन नं. 1/2014
मोटर नं. 1/2014 से 5.750 हे० परियोजना के-निर्माण हेतु (..... ग्राम हे० आरक्षित वन
भूमि 1.890 हे० सिविल सोयम भूमि हे० वन पंचायत भूमि 0.385 हे०)
अर्थात् कुल 2.275 हे० वन भूमि का ग्राम विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत
सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत..... श्रीलाडाडा द्वारा दिनांक 23/11/2014
को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित
वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि
वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा
किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों
द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव
पारित किया गया कि ग्राम..... श्रीलाडाडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
2.275 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई
आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

श्रीमती निजोरा देवी
क्षेत्र जगार पाली
विकास सचिव पांडी गढ़वाल
स. त. ग. व. ड.



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

23/11/14 (कार्यालय)
KANTA PRASAD
REVENUE SUB INS
JAMSHEDPUR

1.6 (प्र)

30.3

उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.....
जनपद.....

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.....
जनपद.....

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चैन्नई (गुवाहाटी)
 में ग्राम सड़क से जोला 3757 क्षेत्र मार्ग बि.सी. 0.00 से 5.750 सिमी तक का
 कार्यालय उप जिलाधिकारी, ले.स 3730 निर्माण कार्य
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण- पत्र

सहायक अभियंता ए
 पी.एम.जी.एस.वाई.सि.ख. उपखण्ड स्तरीय समिति, ले.स 3730
 कोटद्वार (गुवाहाटी)

उपखण्ड ले.स 3730 परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्राम सड़क से
 (अर्थात् 2.275 हे० आरक्षित वनभूमि, 1.820 हे० सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.385 हे० वन पंचायत
 भूमि अर्थात् कुल 2.275 हे० वनभूमि) का ग्राम सड़क परियोजना प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में
 हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की
 मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ले.स 3730)
 की बैठक 13.11.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री
 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की
 गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|---------------------|---------------------------|---------|
| 1- | श्री. सैफुल्लाह खान | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री. प्रदीप चरण | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री. राजेश कुमार | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 4- | श्री. प्रदीप चरण | वी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की
 अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि
 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चैन्नई (गुवाहाटी) में ग्राम सड़क से
 जोला 3757 क्षेत्र मार्ग बि.सी. 0.00 से 5.750 सिमी तक का निर्माण हेतु 2.275 हे० वन भूमि
 ग्राम सड़क परियोजना प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के
 समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई नामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का
 सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन
 की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
 परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के
 प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006
 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम
 सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
 समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ले.स 3730 परिक्षेत्र के ग्राम सड़क से जोला 3757
 क्षेत्र मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.275 हे० वन भूमि एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की
 गयी।

23/11/14
 KANTA PRASAD
 (REVENUE SUB INS)
 BAIT

16(14)

पृष्ठ 305

~~प्रपत्र 23.1~~

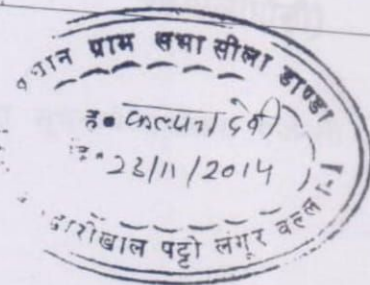
दिनांक 23-11-2014

को ग्राम सभा की सभा बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत..... सीला डाडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री धीरज नैयाजी	
2.	श्री सोहन लाल शर्मा	Shri Sohan Lal Sharma
3.	श्री प्रवीण कुमार	
4.	श्री भाठपाल सिंह	
5.	श्री शोभा राय	
6.	श्री सुन्दर लाल	श्री सुन्दर लाल
7.	श्री गौवर्धन प्रसाद	गौवर्धन प्रसाद
8.	श्री राजेंद्र प्रसाद	
9.	श्री हेम चन्द	
10.	श्री सम्पूर्ण गन्द	
11.	श्री विनय प्रसाद कुमार	सम्पूर्ण गन्द
12.	श्री संदीप चौधरी	
13.	श्री धीरज गौड़न चौधरी	
14.	श्री मधुरा प्रसाद	
15.	श्री भुवानी शंकर	
16.	श्री सोहन लाल	
17.	श्री गौवर्धन कुमार	

श्रीमती विजोरा देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य कयार पाली
विकास खण्ड नं. 1 पाडी गढवाल
उत्तराखण्ड



1.6 (II)

प्रफा-306

प्रपत्र-233

परियोजना का नाम: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद-पौड़ी (गढ़वाल)

में ग्रहणस्थल से झीला डाटा मोटर जमीन क्षेत्र, 0.10 हे. कि.मी. 57500
का निर्माण कार्य

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण- पत्र

जनपद पौड़ी (गढ़वाल) के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित ग्रहणस्थल से झीला डाटा परियोजना के निर्माण हेतु 2.275 हे. वन भूमि ग्रहणस्थल से झीला डाटा प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, गढ़वाल तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

नोट- वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वांछित समस्त सूचनायें प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

(65)